Total Pages-52

Time: 3 Hours

## CODE NO. Not to be filled by the Candidate (अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जाये)

Maximum Marks : 100

## महत्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
- 2. "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर / टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अंकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अन्यर्थिता रदद कर दी जायेगी।
- 3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेत् भी उत्तरदायी माना जायेगा।
- 4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुरितका" में अंकित किये गये हैं।
- 5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में ही लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
- 7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को ✓ द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में टीजिये।
- 8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो, तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
- 9. यदि "प्रश्न पत्र—सह—उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी—फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- 10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

\* \* \* \* \* \* \* \*

- 1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book" and not at any other place.
- 2 Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
- 3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
- 4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
- 5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- 6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
- Specify an option of language Hindi or English, by ticking ✓ in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
- 8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- 9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidate will be liable for that.
- 10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

\* \* \* \* \* \* \*



# FOR EVALUATOR'S USE ONLY

Q.NO.	MARKS	Q.NO.	MARKS
1		12	
2		13	
3		14	
4		15	
5		16	
6		17	
7		18	
8	4 4 5 8 4	19	
9		20	
10		21	
11		22	
xamine	r's Remarks (i	f any)	

GRAND TOTAL: IN FIGURES
IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINERS

SIGNATURE OF HEAD EXAMINER

**Note:** Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोटः समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1	[03 Marks]
Question No. 1	[03 Marks]

Zahir Khan, SHO Kotwali, Jaipur arrested Harish in a murder case. On being produced before the Magistrate, he was remanded to police custody for 12 days. Zahir Khan did not provide food to Harish continuously for 04 days, as a result of which health of Harish started deteriorating. On 5th day, Superintendent of Police visited the police station and Harish complained about non-supply of food, consequently, Zahir Khan was suspended and immediately placed in police lines. Ashok Kumar was posted as SHO, who illegally omitted to supply food to Harish for next 04 days, resultantly, Harish dies of hunger. What offence Zahir Khan and Ashok committed? Explain with relevant provisions of law.

#### प्रश्न संख्या 1

जहीर खान, कोतवाली जयपुर का भारसाधक अधिकारी, ने हत्या के मामले में हरीश को गिरफ्तार किया। मिजस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उसे 12 दिन की पुलिस अभिरक्षा में प्रेषित किया गया। जहीर खान ने निरन्तर चार दिनों तक हरीश को भोजन उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप हरीश का स्वास्थ क्षीर्ण होने लगा। पांचवे दिन पुलिस अधीक्षक पुलिस थाना आया और हरीश ने भोजन नहीं देने की शिकायत की। परिणामस्वरूप जहीर खान को निलम्बित किया गया और तुरन्त पुलिस लाईन भेजा गया। अशोक कुमार भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित हुआ जिसने हरीश को अगले चार दिनों तक भोजन देने का अवैध रूप से लोप किया। फलस्वरूप हरीश भूख से मर जाता है। जहीर खान और अशोक ने क्या अपराध कारित किया? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित व्याख्या कीजिए।

200	1 6			
-57.14s.				

Page 5 of 52

Question No. 2			[03 Marks]	
M/s. Ram Industries is having two	directo	ors i.e.	Mr. Ram and the District I	Magistra

ate of that district. A complaint is filed for the offence punishable under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881. Discuss briefly about the liability of the District Magistrate being prosecuted in the capacity of director.

प्रश्न संख्या 2
मै. राम इन्डस्ट्रीज के दो निदेशक हैं जो कि श्री राम तथा जिले का जिला मजिस्ट्रेट हैं। परक्राम्य
लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु एक परिवाद प्रस्तुत किया
गया। निदेशक के रूप में अभियोजित किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट के दायित्व के सम्बन्ध में संक्षेप में
वर्णन कीजिए।

Question No. 3	[03 Marks]	

During the investigations of a first information report lodged u/s 420 IPC, investigating officer reached at conclusion that an offence punishable u/s 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is also made out. He collected the cheque dated 13.10.2021, Memo of presentation of cheque for encashment dated 31.10.2021, Cheque dishonor memo dated 07.11.2021, Copy of notice dated 18.11.2021 issued by the complainant to the accused and postal receipt thereof. After completion of investigation charge sheet for the offences punishable under section 420 IPC and 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 is filed in the court on 10.12.2021. Whether Magistrate can proceed against the accused for the offence under section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881 also? Discuss.

## प्रश्न संख्या 3

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दण्डनीय अपराध भी बनता है। उसने चैक दिनांकित 13.10.2021, चैक को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत करने का ज्ञापन दिनांकित 31.10.2021, चैक अनादरण ज्ञापन दिनांकित 07.11.2021, परिवादी द्वारा अभियुक्त को जारी किए गये सूचना पत्र दिनांकित 18.11.2021 की प्रति और उसकी डाक रसीद एकत्र की। अनुसंधान के पूर्ण होने के पश्चात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु न्यायालय में आरोप पत्र 10.12.2021 को

स्तुत किया। क्या मजिस्ट्रेट ाभियुक्त के विरुद्ध प्रवृत्त हो सव	कता है? विवेचि	ात कीजिए।	1001 q	। धारा	138	के अपराध	हेतु भ
		, , , , , ,					
	_						
			1 14,81 1		,		
		C comment	1 1 2 1 2				
		100	1,1				
					-		
		_					
* v   F							
F 1 000							
1000							

Question No. 4 State briefly abo	ut the disqualific	cations of a	person fo	[ <b>03 IV</b> or appoin		member of
Juvenile Justice B						
प्रश्न संख्या 4 किशोर न्याय बोर्ड व संक्षेप में बताइए।	के सदस्य के रूप	में नियुक्ति के	लिए एक	व्यक्ति की	निर्योग्यताओं	के सम्बन्ध में
arnife i	on of the rate A	N. S.				
-LP-II-21		Page	10 of 52			

	[03 Marks] titution of Internal Complaint Committee unde
<b>१न संख्या 5</b> हिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़ तर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन व	इन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 व के बारे में लघु लेख लिखिए।
	-

		_
uestion No. 6	[03 Marks]	
plain in short t	the definition of "Sexual Harassment" under The Sexual Harassme	ent
	orkplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.	
न संख्या 6		
	कार के अधिकाम विकास अपन प्रतितीष अधिकाम २०४०	1
	स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013	4
गित "लेगिक उत्प	गीड़न'' की परिभाषा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।	
		-
		_
	5일 전에 되었는 그 1 · ·	_
		_

Question No. 7	[03 Marks]
What is the procedure to record th	ne statement of victim by the police during the
course of investigation in a case	under The Protection of Children from Sexual
Offence Act, 2012?	and the second displayed
ाश्न संख्या <i>7</i>	
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण आ	धिनियम, 2012 के अंतर्गत मामले के अनुसंधान के दौरान
पुलिस द्वारा पीड़ित के कथन अभिलिखित क	
JS-LP-II-21	Page 13 of 52

	*	
	- Γ	-
Question No. 8	[03 Marks]	
What offense is committed by husband if he indulges	in sexual intercou	rse with his
own wife, if age of the wife is below 18 years? Explain	with relevant pro	ovisions and
case law.		
प्रश्न संख्या 8	-	· · · · · · · · · · · · ·
पति द्वारा क्या अपराध कारित किया गया जब वह उसकी स्वंय की		
है, के साथ लैंगिक सम्भोग में लिप्त होता है? सुसंगत प्रावधा कीजिए।	ना एवं निर्णित विधि	सहित व्याख्या
		17 T SR
	11.	
	i maka	
JS-LP-II-21		
JS-LP-II-21 Page 14 of 52		

	a, je glad 9 li e swenisht 3 i n	rac grassanan
तादाया न व्याच्या नगाना	and the state of t	
का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत	परिवाद प्रस्तुत कर सकती है? विधि	के सुसंगत प्रावधानों सहित
हैं। रमेश, सुनीता के साथ घरेलू हिंसा व	करता है। क्या सुनीता रमेश के विरु	द्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं
रमेश और सुनीता, जो विवाहित नहीं हैं	लेकिन पति व पत्नी की तरह एक	छत के नीचे साथ रह रहे
प्रश्न संख्या 9		
Act, 2005? Explain in brief with re	elevant provisions of law.	
complaint against Ramesh under		om Domestic Violence
wife. Ramesh committed domes		
Ramesh and Sunita, though not n		
Question No. 9	[03 M	
	on the second works are now a	2 4 -
-		
-		

	. 1
	20
Question No. 10	[02.84
Question No. 10	[03 Marks]
20 years & 6 months old Ramesh is convicted	for an offence punishable under
section 304 $\scriptstyle m II$ of Indian Penal Code, 1860. Whet	ther such accused has a right to b
released on probation? Explain with the help of re	elevant provision and sace law
	and case law.
JS-LP-II-21 Page 16 of 52	2

प्रश्न	संख्या	10

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 II के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में 20 वर्ष एवं 6 माह की उम्र
के रमेश को दोषसिद्ध किया जाता है। क्या ऐसा अभियुक्त परीवीक्षा पर छूटने का अधिकार रखता है?
सुसंगत प्रावधान और निर्णीत विधि की मदद से व्याख्या कीजिए।
Costs Costs
- Chighert the sections
S-LP-II-21 Page 17 of 52

Question No. 11	[04 Marks]
Akash and Bhushan commit robbery. Akash threatened the victim with a pistol which he convicted under section 392 and 397 IPC. Ex	e was carrying but did not fire. Both were
प्रश्न संख्या 11 आकाश एवं भूषण ने लूट कारित की। लूट कारित करता था, से पीड़ित को धमकाया परन्तु पिस्तोल नह 397 के अंतर्गत दोनों को दोषसिद्ध किया गया। निर्णर	ीं चलाई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 <sub>एवं</sub>

Page 18 of 52

Question No. 12 [04 Marks]
Whether the Magistrate is precluded to pass a sentence, in an application under
Whether the Magistrate is precluded to pass a sentence, in an application under section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due? प्रश्न संख्या 12
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से
section 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, beyond a period of 01 month in pursuance of execution warrant on a consolidated application made within 01 year from the date on which the amount become due?  प्रश्न संख्या 12  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) के अंतर्गत आवेदन में, राशि देय होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत समेकित आवेदन पर, वारण्ट के निष्पादन के अनुसरण में, क्या मजिस्ट्रेट एक माह की अवधि से

Question No. 13	[04 Marks]	
(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive t	erms". Explain.	
(b) Explain "refreshing memory" of the witness with the	help of relevant p	rovision.
प्रश्न संख्या 13		
(अ) '''सुसंगतता' और 'ग्राहृता' सह—व्यापक पद नहीं हैं''। विवेचित व	गीजिए <b>।</b>	
(ब) सुसंगत प्रावधान की सहायता से साक्षी की "स्मृति ताजा करना"	को स्पष्ट कीजिए।	
(a) "'Relevancy' and 'Admissibility' are not co-extensive t	erms". Explain.	
(अ) ''सुसंगतता' और 'ग्राहृता' सह—व्यापक पद नहीं हैं''। विवेचित व	नीजिए <u>।</u>	
	A Latinization	2011/12/1
JS-I P-II-21 Page 21 of 52		

(b) Explain "refreshing memory" of the witness with the help of	of relevant provision.
(ब) सुसंगत प्रावधान की सहायता से साक्षी की "स्मृति ताजा करना" को स्प	ष्ट कीजिए।
Question No. 14 [04 M] How many types of appeals are provided under The Juverotection of Children) Act, 2015?	enile Justice (Care &
IS-LP-II-21 Page 22 of 52	Par 12 d

प्रावधानित हैं?	ालकों की देख-रे	ख आर सरक्षण	) अधिनियम,	2015 के उ	भंतर्गत कित	ाने प्रकार	की अपीलें
				•			
		,					
	*						
	2. 30						
2.1	assign are				9.		-
			100			N TENOS	
		Transaction of	nge 23 of 52				

	rea saerkel
luestion No. 15	[04 Marks]
Vhat care the court should take to r	ecord the statement of victim in cases under the
rovisions of The Protection of Child	ren from Sexual Offence Act, 2012? Explain with
he relevant provisions of law and ca	
ाश्न संख्या <b>1</b> 5	
and the state of t	वियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत मामलों में पीड़ित के
नागक अपराधा स बालका का सरक्षण आह	यान रखना चाहिए? सुसंगत प्रावधानों व निर्णित विधि सहित
	यान रखना वाहरः पुरानस अन्याः ।
स्पष्ट कीजिए।	
	Land V
JS-LP-II-21	Page 24 of 52

Question No. 16		[06 Marks]	
Define any three	of the following -		
a)	Thug		
b)	Grievous Hurt		
c)	Trafficking of person		
d)	Extortion		
e)	Robbery		
प्रश्न संख्या 16	,		
निम्न में से किन्हीं त	ीन को परिभाषित कीजिए –		
अ)	<b>उ</b> ग		
ৰ)	गंभीर उपहति		
स)	व्यक्ति का दुर्व्यापार		
द)	उद्दापन		
ਧ)	लूट		
a)	Thug		
अ)	<b>ठ</b> ग		
	The second secon		
JS-LP-II-21	Page 26 of 52		

b) Grievous Hurt		
ब) गंभीर उपहति		,*
		4
a) Trafficking of pages		
c) Trafficking of person		
स) व्यक्ति का दुर्व्यापार		
S-LP-II-21	Page 27 of 52	tank a

d) Ext	cortion		
द) उद	ापन		
			,
e) Rol	herv		
य) लूट			
		A	
			7.0

Question I	No. 17
	[U6 Marks]
relevant n	be the effect of following defects in a criminal trial? Explain referring the
relevant p	rovisions of Code of Criminal Procedure, 1973 and case laws -
a.	The Charge is defective.
b.	Judgment of conviction and sentence delivered in the absence of
	accused.
C.	Material Prosecution witnesses examined by the court without securing
	the presence of accused in the court.
प्रश्न संख्या	17
एक दाण्डिक	विचारण में निम्नलिखित कमियों का क्या प्रभाव होगा? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के
मुसंगत प्रावध	ानों और निर्णित विधि के संदर्भ देते हुए विवेचन कीजिए –
अ.	आरोप दूषित है।
ब.	दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय अभियुक्त की अनुपस्थिति में पारित किया गया।
स.	अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना न्यायालय द्वारा तात्विक
	अभियोजन साक्षियों का परीक्षण।
	Page 29 of 52
-I P-II-21	

Question No. 18  Distinguish between the following -	[06 Marks]	
a) Enquiry and Trial		
b) Discharge and Acquittal		
c) Summons Case and Warrant Case		
प्रश्न संख्या 18		
निम्नलिखित के बीच में विभेद कीजिए -		
अ) जांच एवं विचारण		
ब) उन्मोचन एवं दोषमुक्ति		
स) समन मामला एवं वारण्ट मामला		
a) Enquiry and Trial		
अ) जांच एवं विचारण		
37 30 7 3 13 417 1		
		,
3-I.P-II-21 Page 32 of 52		

P-II-21	Page 33 of 52	
स) समन मामला	एवं वारण्ट मामला	
c) Summons C	ase and Warrant Case	
प्राची स्व	दावमुक्ति	
b) Discharge a ब) उन्मोचन एवं		

uestion No. 19	[06 Marks]
/hat is a dying declaration? Explain ful	lly the law in India relating to the admissibility
evidence of a dying declaration. Car	n a dying declaration form the sole basis of a
onviction? Explain with relevant provi	
श्न संख्या 19	
ज्य से विवेचित कीजिए। क्या मृत्युकालिक कथ	की साक्ष्य में ग्राहृता के विषय में भारत में विधि को पूर्ण न दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है? सुसंगत
विधानों एवं निर्णीत विधि सहित स्पष्ट कीजिए।	<b> </b>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	119

Question No. 20 [06 Marks]  Explain any three in view of the definitions provided under The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 -	
a) Best interest of child	
b) Children court	
c) Fit facility	
d) Orphan	
e) Surrendered child	
<b>श्न संख्या 20</b> इशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रावधानित परिभाषाओं । ध्यान रखते हुए <b>किन्हीं तीन</b> को स्पष्ट कीजिए —	
अ) बालक का सर्वोत्तम हित	
ब) बाल न्यायालय	
स) उचित सुविधा तन्त्र	
द) अनाथ	
य) अभ्यर्पित बालक	
a) Best interest of child	
अ) बालक का सर्वोत्तम हित	

Page 36 of 52

b) Children court	
a) omarch court	
7)	
ब) बाल न्यायालय	
,	

c) Fit facility					
स) उचित सुविधा तन	न्त्र				
				•	
		-			
	* *				
d) Orphan					
द) अनाथ					
,				 	
			v		
18 10 10 11 11					
S-LP-II-21		P:	age 38 of 52		194.192

e) Surrendered child		
य) अभ्यर्पित बालक		
	 -	
	 	-

## Question No. 21

## [10 Marks]

Police Station Kotwali Alwar received information in the evening of 09.03.1992 that a truck RJ02 A 2233 had broken the forest department barrier and collided with a motorcycle. The receipt of this information (By means of telephonic conversation) alerted the police. Sub Inspector Radha Mohan along with others were stationed at vantage point, on the main road when the truck reached there. SI Radha Mohan signaled the truck to stop. It was being driven by the accused. Instead of applying brakes, the accused tried to speed away, upon which SI Radha Mohan tried to board the truck from its left side. Accused warned SI Radha Mohan not to do so and that he would be killed. Nevertheless, SI Radha Mohan boarded the truck. Immediately, the accused pushed him, as a result whereof SI Radha Mohan fell off the truck and was run over by its rear wheels and expired at the spot. Accused fled away with the truck. He was later caught and arrested.

Frame Charge and write a judgment.

## प्रश्न संख्या 21

09.03.1992 की शाम को पुलिस थाना कोतवाली अलवर ने एक सूचना प्राप्त की कि एक ट्रक आर.जे. 02 ए 2233 ने वन विभाग के बेरीयर को तोड़ दिया और एक मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। इस सूचना की प्राप्ति (टेलिफोनिक बातचीत के साधनों द्वारा) ने पुलिस को सचेत कर दिया। उप-निरीक्षक राधा मोहन अन्य के साथ वैन्टेज पॉईन्ट मुख्य सड़क पर खड़ा हो गया, जब ट्रक वहां पहुंचा। उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक को रूकने का इशारा किया। यह अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था। ब्रेक लगाने के बजाय, अभियुक्त ने रफ्तार से भागने की कोशिश की जिसपर उप-निरीक्षक राधा मोहन ने ट्रक पर बायीं तरफ से चढ़ने का प्रयास किया। अभियुक्त ने उप-निरीक्षक राधा मोहन को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी अन्यथा वह मारा जाएगा। इसके बावजूद भी उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक पर चढ़ गया। अभियुक्त ने तुरन्त उसे धक्का दिया, जिसके परिणमस्वरूप उप-निरीक्षक राधा मोहन ट्रक से गिर गया और ट्रक के पिछले पहियों के नीचे आ गया और मौके पर ही मर गया। अभियुक्त ट्रक सिहत भाग गया। वह बाद में पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया।

आरोप विरचित कीजिए और निर्णय लिखिए।

JS-LP-II-21

Page 40 of 52

# Question No. 22

[10 Marks]

On 26.05.2004, marriage function of the daughter of one Rama was going on in village Pipli. In the said marriage function Rama invited complainant Madhu Singh (PW 2) and his family members. In the afternoon between 3 to 4 pm, Sh. Mal Singh and Smt. Sajjan Bai, father and mother of the complainant went to the house of Rama as invitees. Madhu Singh was taking meal. At this juncture, accused Bonder, his sons accused Pappu and Munna reached there. They abused Mal Singh and ask him as to who had invited him. There was exchange of hot words and an altercation took place. Suddenly, Pappu deait a lathi blow on the left side of the head of Mal Singh. Accused Munna also caused injury on left shoulder and left hand of Mal Singh. At that moment Madhu, Man Singh and Sajjan Bai, witnesses, rushed to save Sh. Mal Singh. Accused threatened these persons and escaped from the spot. Mal Singh was taken to the hospital where he scrummed to the injury on 27.05.2004. Accused were apprehended and produced before the court.

Frame Charge and write a judgment.

## प्रश्न संख्या 22

26.05.2004 को, गांव पीपली में रामा की पुत्री का वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। उक्त वैवाहिक कार्यक्रम में रामा ने परिवादी मधु सिंह (पी.ड. 2) और उसके परिवार के सदस्यों को आमन्त्रित किया। दोपहर पश्चात 3 से 4 बजे के मध्य मल सिंह और सज्जन बाई, परिवादी के पिता और माता आमन्त्रित के रूप में रामा के घर गये। मधू सिंह भोजन ले रहा था। इस समय पर अभियुक्त बोन्दर व उसके पुत्र अभियुक्तगण पप्पू और मुन्ना वहां पहुंचे। उन्होंने मल सिंह को गालियां निकालीं और उससे कहा कि उसे किसने आमंत्रित किया। वहां तीखी बहस और तकरार हो गई। अचानक पप्पू ने मल सिंह के सिर के बाई तरफ लाठी से वार किया। अभियुक्त मुन्ना ने भी मल सिंह के बायें हाथ और बायें कंधे पर उपहित कारित की। इसी क्षण पर मधु, मान सिंह और सज्जन बाई, साक्षीगण, श्री मल सिंह को बचाने के लिए दौड़े। अभियुक्त ने इन व्यक्तियों को धमकाया और मौके से भाग गए। मल सिंह को अस्पताल ले जाया

गप विरोचत कीजिए	और निर्णय लिखिए।	
		er e
		and the
		Control of the contro
		Marchay Made e
		Provide the Control of the Control o
		as the second of
	of a fact to the	
	.,	
V.M.		
al exp		
7-1	Light will be a	